उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 257वीं बैठक

दिनांक 02 नवम्बर 2022 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 257वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन,	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर प्रसाद,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,	सदस्य
3. डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आ0वि0परिषद,	सदस्य
4. श्री उदयभानु त्रिपाठी,	अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5. श्री धमेन्द्र वर्मा,	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6. श्री एस0सी0 राय,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7. श्री कल्याण बनर्जी,	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास,	सदस्य
8. श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0 प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
9. श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आ0वि0परि0	सदस्य
10. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0 प्रतिनिधि उपा0ल0वि0प्रा0	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक् विचारोपरोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गयेः-

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
257/1	परिषद की 256वीं बैठक दिनांक 24 जून,2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 256वीं बैठक दिनांक 24 जून 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
257/2	परिषद की 256वीं बैठक दिनांक 24 जून,2022 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 256वीं बैठक दिनांक 24 जून 2022 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
257/3	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड 34 (निर्माण खण्ड वाराणसी 01), वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्य्क विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	अवर अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच में, जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में आरोप सिद्ध पाये जाने तथा प्रकरण में निर्गत अभ्यावेदन नोटिस' के क्रम में प्रस्तुत प्रत्युत्तर में कोई नवीन तथ्य नही पाये जाने के दृष्टिगत 'सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए,' के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन से 05 प्रतिशत धनराशि की कटौती 05 वर्ष तक किये जाने का दण्ड देते हुये उनके विरूद्ध गठित उक्त विभागीय जाँच को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।		
257/4	श्री वेद प्रकाश धींगरा, तत्कालीन लेखाकार, सं0प्र0 कार्यालय मुरादाबाद, सम्प्रति सेवानिवृत्त लेखाकार के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, 'सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए' के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 10% कटौती लगातार 03 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में प्रस्तावित दण्ड अपचारी पर लगाये गये आरोपों के सापेक्ष समुचित न होने के कारण पुनः परीक्षण करके समुचित दण्ड प्रस्तावित करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

	जाने हेतु प्रस्ताव।		
257/5	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री के0सी0 त्रिपाठी, तत्कालनी निलम्बित प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच में, जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में आरोप सिद्ध पाये जाने तथा प्रकरण में निर्गत अभ्यावेदन नोटिस एवं तद्क्रम में दिनांक 19-07-2022 को हुयी व्यक्तिगत सुनवाई में श्री के0सी0 त्रिपाठी, सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों/अभियावेदन में कोई नवीन तथ्य न पाये जाने के दृष्टिगत सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद-351ए' के अन्तर्गत श्री के0सी0 त्रिपाठी, सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक की पेंशन से 5 प्रतिशत पेंशन कटौती 05 वर्षों तक किये जाने का दण्ड देते हुये उनके विरूद्ध गठित उक्त विभागीय जाँच को समाप्त किये जाने के संबंध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में प्रस्तावित दण्ड अपचारी पर लगाये गये आरोपों के सापेक्ष समुचित न होने के कारण पुनः परीक्षण करके समुचित दण्ड प्रस्तावित करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

257/6	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत विभागीय जांच गठित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/7	जागृति बिहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ में मास्टर प्लान सड़कों हेतु अर्जित भूमि को आपसी समझौते से लिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित करते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
257/8	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-कल्ली पश्चिम के खसरा संख्या-1070 व 1075 की भूमि के सापेक्ष 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड एवं 25 प्रतिशत भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश का परीक्षण कर निरस्त कराने की कार्यवाही करते हुए भूमि पर नियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
257/9	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में एवार्ड घोषित कराया जाये, साथ ही योजना संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
257/10	जनपद अयोध्या नगर में "भूमि विकास एवं गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना," अयोध्या के भूमि के निर्धारण के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

257/11	कन्नौज नगर में प्रस्तावित कन्नौज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 कन्नौज की धारा-31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
57/12	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधिनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2014 के प्रस्तर-4 में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)-2008 टी0सी0 दिनांक 10-10-2011 के अनुसार पदों की संख्या पुनः अवधारित करने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/13	श्री राजेश कुमार मेहतानी (सेवानिवृत्त, दिनांक 31-08-2022) सहायक अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता के कर्तव्यों/दायित्वों हेतु अधिकृत) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/14	परिषद की ट्रान्स यमुना प्रथम चरण आगरा में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या-ए-406 के पुनर्जीवन 32के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/15	मा0 निदेशक मण्डल की 256वीं बैठक के मद सं0 256/7 विषय पर प्रस्तुत प्रस्ताव/नीति पर लिए	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव में नोएडा/ग्रेटर नोएडा अथवा अन्य प्राधिकरणों में इस प्रकार के यदि किसी प्रकरण

	गए निर्णय के बिन्दु सं0 2(a) एवं 2 (b) बिन्दु सं0-3 पर जारी कार्यालय आदेश सं0-757 दिनांक 25-07-2022 द्वारा दी गयी व्याख्या को मा0 निदेशक मण्डल से अनुमोदित कराने विषयक।		का निस्तारण हुआ हो, तो उसका परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
257/16	परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ के अन्तर्गत भागीरथी एन्क्लेव 3BHK+SERVANT फ्लैट संख्या-2B/T2-601 के अवशेष देय धनराशि एवं ब्याज के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/17	परिषद योजनाओं में आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों के निरस्तीकरण के उपरान्त दीर्घ अवधि से लम्बित पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/18	परिषद योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों के एकमुश्त भुगतान (60 दिन के अन्दर) किये जाने एवं बैंक स्तर से विलम्ब की दशा में 05 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/19	लखनऊ में अति विशिष्ट सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत 5000 लोगों हेतु कन्वेन्शन सेन्टर प्रस्तावित किये जाने हेतु पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अन्तर्गत कार्यों निमित कन्सलटेन्ट की	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव के Transaction advisor Consultant के चयन हेतु प्रस्तुत R.F.P डाक्यूमेंट के अनुसार अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाए। साथ ही कन्वेंशन सेंटर योजना के डिजाइन हेतु प्राइवेट आर्किटेक्टों से एक्सप्रेशन ऑफ

	नियुक्ति/चयन हेतु आर0एफ0पी0 सम्बन्धी प्रस्ताव।		इंटरेस्ट भी जारी किया जाये। चयन संबंधी समस्त कार्यवाही 02 माह में पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।
257/20	एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2022 के पश्चात होनी है, उनके दिनांक 31-12-2021तक परिषद के सी0पी0 एफ0 में जमा अभिदान एवं अंशदान की धनराशि पर देय ब्याज सहित समस्त धनराशि एन0पी0एस0 खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/21	श्रीमती प्रीति मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी को स्टाफ भवन किराये पद्धति पर आवंटन किये जाने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मत्ति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं का परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गयाः— • स्टाफ भवन आवंटन की नीति क्या है? • परिषद कार्मिकों को कितने भवन निजी तौर पर आवंटित किये गये तथा कितने भवन विक्रय किये गये? चर्चा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि इससे संबंधित रिट याचिका मे मा0 न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित किये गये है। परीक्षणोपरान्त प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में रखे जाने निर्देश दिये गये।
257/22	राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को गम्भीर बीमारी की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

257/23	गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री/सेवाओं क्रय हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-23 /2022/165/18-2-2022- 1997(ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 29-06-2022 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	कम्प्यूटर सेल	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/24	परिषद योजनाओं में अतिक्रमण/ अवैध निर्माण के प्रवर्तन हेतु प्रवर्तन दल के गठन के संबंध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/25	वसुन्धरा, गाजियाबाद में 220 के0वी0 जी0आई0एस0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-2ए में, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड को 2.0 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
257/26	परिषद कार्मिको/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2022 से 34% दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
257/27	परिषद की प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली शाहजहाँपुर मुख्य बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर रोड परसाखेड़ा में स्थित ग्राम-	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	ट्यूलिया की भूमि लैण्ड पुलिंग के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में।		
257/28	मा0 परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10-02-2020 के मद सं0-14 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिषद की पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी में श्री राजकुमार पटेल एवं अन्य काश्तकारों से सम्बन्धित विवादित भूमि के समाधान के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त नयी समिति संबंधी प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
257/29	अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/30	श्री जनार्दन त्रिपाठी, सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता के कर्तव्यों/दायित्वों हेतु अधिकृत) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ.एस.डी. के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/31	श्री राजेन्द्र बहादुर, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के दिनांक 31-	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	10-2022 को सेवानिवृत्त के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के संबंध में।		
257/32	परिषद की 256वीं बैठक में समूह में फ्लैट आवंटन पर छूट के स्थान पर एकल फ्लैट के आवंटन के फ्लैट के मूल्य में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/33	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भवन सं0–8बी/67 के कालबाधित होने के फलस्वरूप पुनर्जीवन करने के संबंध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
257/34	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष
अध्यक्ष